



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष, 1943 (श०)

संख्या - 514 राँची, बुधवार,

12 जनवरी, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2021

संख्या-03/उ०सि०स्था०-25-04-2021-2346--भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन झारखंड उत्पाद सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 तथा झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- (i) यह नियमावली “झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जायेगी ।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 7 (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) में सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु निम्नांकित प्रावधान है-
- (ii) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उत्पाद सिपाहियों की भर्ती हेतु प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर उत्पाद सिपाही हेतु निर्धारित शारीरिक माप, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि अर्हता तय करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा ।
- (iii) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/दसवीं स्तर) नियमावली, 2015 (अद्यतन यथा संशोधित तथा समय-समय पर संशोधित) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत किया जायेगा ।
- (iv) चयन पत्र द्वारा शारीरिक जाँच एवं शारीरिक माप में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची यथा समय आयोग को उपलब्ध करायेगा ।
- (v) प्रथम चरण में आयोग रिक्ति के तीन गुणा अभ्यर्थियों का, चयन पत्र के द्वारा, शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्पन्न करायेगी तथा रिक्ति रह जाने की स्थिति में अपेक्षित संख्या में पुनः नीचे के मेधा क्रम में ऐसी दक्षता परीक्षा करा सकेगा ।
- (vi) झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के साथ-साथ आयोग अपनी नियमावली यथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/दसवीं स्तर) नियमावली, 2015 (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) एवं राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार परीक्षा का संचालन कर सकेगी ।

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

- (ii) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उत्पाद सिपाहियों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा उत्पाद सिपाही की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शारीरिक माप, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि अर्हता के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित करेगा ।
- (iii) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, शारीरिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) अंतर्गत अधिसूचित चयन पत्र को उपलब्ध करायेगा ।

- (iv) सर्वप्रथम शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता की जाँच की जायेगी। चयन पर्षद् शारीरिक जाँच एवं शारीरिक माप में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध करायेगा। शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता की जाँच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के प्रसंग में नियुक्ति हेतु अधिसूचित चयन पर्षद् द्वारा किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा दे पायेंगे।
- (v) "लिखित परीक्षा" झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2016, 2021) में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय जाँच के उपरांत योग्य उम्मीदवारों की सेवा में नियुक्ति हेतु चयन किया जायेगा।

चिकित्सीय जाँच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) द्वारा अधिसूचित चयन पर्षद् द्वारा की जायेगी।

- (vi) झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 तथा झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के साथ-साथ आयोग अपनी नियमावली यथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2016, 2021) एवं राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार परीक्षा का संचालन कर सकेगी।

3. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 9 - शारीरिक माप एवं शारीरिक जाँच की प्रक्रिया में निम्नांकित प्रावधान है -

"झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संसूचित आरक्षणवार मेधा सूची के अनुसार शारीरिक माप एवं शारीरिक जाँच का आयोजन किया जायेगा";

को विलोपित किया जाता है।

4. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (i) - शैक्षणिक योग्यता में निम्नांकित प्रावधान है -

"इस संवर्ग में उत्पाद सिपाही के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।"

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- इस संवर्ग में सिपाही के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी । ”

5. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (ii) - उम्र में निम्नांकित प्रावधान है -

उम्र- उत्पाद सिपाही के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा निम्न प्रकार होगी -

(क)	सामान्य जाति (अनारक्षित)	18 वर्ष से 25 वर्ष तक
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	18 वर्ष से 27 वर्ष तक
(ग)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	18 वर्ष से 30 वर्ष तक
(घ)	महिला (अना०/पि०व०/अ०पि०व०)	18 वर्ष से 28 वर्ष तक

उम्र की गणना हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी ।

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

उम्र- उत्पाद सिपाही के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा निम्न प्रकार होगी -

(क)	सामान्य जाति (अनारक्षित)	18 वर्ष से 25 वर्ष तक
(ख)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	18 वर्ष से 25 वर्ष तक
(ग)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	18 वर्ष से 27 वर्ष तक
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	18 वर्ष से 30 वर्ष तक
(ङ)	महिला (अना०/पि०व०/अ०पि०व०)	18 वर्ष से 28 वर्ष तक

उम्र की गणना हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।

6. झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (iii) में निम्नांकित प्रावधान है -

शारीरिक योग्यता- उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक माप एवं शारीरिक जाँच परीक्षा झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 में वर्णित प्रावधान (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसार की जायेगी।

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

शारीरिक योग्यता –

क्र०	वर्ग	ऊँचाई	सीना का माप
1	सामान्य जाति (अनारक्षित)	160 से.मी.	81 से.मी.
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	160 से.मी.	81 से.मी.
3	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	160 से.मी.	81 से.मी.
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	155 से.मी.	79 से.मी.
5	महिला (अना०/पि०व०/अ०पि०व०)	148 से.मी.	माप नहीं किया जाएगा

7. विभागीय अधिसूचना संख्या 1225 दिनांक 08.06.2013 एवं 2628 दिनांक 25.09.2016 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
